तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अदा हुआ तारीख
25/7/16	अधि० अपील उप० वहाँ उपस्थित समय नहीं तिथि 19/8/16 नियत हो।	
19/8/16	अधि० अपील उप० वहाँ उपस्थित समात ~~[illegible]~~ वकील अधि० प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थीगण की लापरवाही की अवधि अनुसार [illegible] रखा गया पर दर्ज किया गया। लापरवाही में तरमीम सही थी मूल डीक्री में रकबे के अनुसार 1.31 हे० की तरमीम की गई थी जो पक्ष करवी गई तथा विवाद्यक 3315, 3316 व्यादेश जो हालिकि विवाद्यक दर्ज था 0.34 हे० राशि नगर पालिका में नाम अनु० मकाई में दर्ज किया गया। जो गलत है। खतौनी की राशि को विवाद्यक दर्ज कर [illegible] दर्ज किया गया वह गलत है। अपीलीगण का तर्क है कि लिखित बिना व्यापार जो राशि दर्ज की गई वह विवाद्यक होने से लिखित में बिना मुद्दा के आदेश में नगर पालिका नाम पर गुना लगान पर मकाई में दर्ज करने का आदेश निश्चित हुआ है। अतः प्रार्थना अपीलीगण खारिज किया जावे। यदि अपीलीगण का दावा खारिज निक्षेपकर्ता एवं इकरारनामा [illegible] जो लाइन के माध्यम पर बाड़ में तय होना है। जिसका रकबा तरमीम किया गया प्रार्थनापत्र में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र अपीलीगण प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता। अतः प्रार्थनापत्र अपीलीगण अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दि० 5/7/16 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर में बस्ता कुमार किया जाता है।

अपर जिला जज
[illegible]